सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय/MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय/DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING
"बिटा बिल्डिंग", 9 वी मंजिल/"BETA BUILDING", 9th FLOOR
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS
कांजुर गॉव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST
मुंबई - 400 042/MUMBAI – 400 042

टेलीफोन: 022 – 25752040/1/2/3
फैक्स: 022 – 25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022 - 25752040/1/2/3
Fax: 022 – 25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फा सं – 7-एनटी/(72)/2014 दि.17.11.2014

वर्ष 2014 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या – 21

विषय – इबोला वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सहायता हेतु समुद्रीय सुरक्षा उपायों का पूरा तथा प्रभावी कार्यान्वयन – संबंधी ।

1. इबोला वायरस बीमारी के उक्त विषय पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ) के दिनांक 2 सितंबर, 2014 के परिपत्र पत्र संख्या 3484, कि साथ संलग्न कर 13 अक्तूबर, 2014 को वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 19/2014 जारी की गई थी । उसके बाद आईएमओ द्वारा इबोला बीमारी को फैलने से रोकने में सहायता के लिए समुद्रीय सुरक्षा उपायों के पूरे तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहायता हेतु समुद्रीय सुरक्षा उपायों के पूरे तथा प्रभावी कार्यान्वय संबंधी दिनांक 10 सितंबर, 2014 का परिपत्र पत्र संख्या 3485 जारी किया गया ।

2. भारतीय पोतों और भारत स्थित पत्तनों से यह अपेक्षा है कि इस परिपत्र में लिखी बातों पर ध्यान दें और अलग-अलग मामले में दृष्टिगत खतरे को समझते हुए उसी हिसाब से कार्यान्वय करें ।

3. इनसा/फोसमा/मासा और समुद्रीय कर्मियों की यूनियनों आदि सहित सभी संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे व्यापक रूप से समुद्रीय समुदाय के लाभार्थ अक्षरश: रूप से दिनांक 02.09. 2014 के आईएमओ परिपत्र संख्या 3484 के साथ पठित दिनांक 10.09.2014 के वर्तमान आईएमओ परिपत्र संख्या 3485 पर ध्यान दें ।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(कप्तान के पी जयाकुमार)
उप नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार

संलग्न : दिनांक 10 सितंबर, 2014 का आईएमओ उप नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार परिपत्र पत्र संख्या 3485 (2 पृष्ठ) ।